



Form No-III

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर  
रणवीर आदि बनाम कृष्णलाल आदि

रूम मुकदमा- प्रार्थना-पत्र धारा 8 राज. उप. 1947 व राज. उप. अधि. 1954  
जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/282

नम्बर 21 / 2024

<p>रीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए</p>
<p>08 2024</p>	<p>प्रार्थी रणवीर पुत्र श्री गणपतराम जाति सुथार साकिन फौजवाला तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री दिनेश कुमार जोशी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र साथ मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम पत्र मौका रिकार्ड हेतु जारी हो। अप्रार्थीगण को जरिये रजि. नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">               ( सुभाष चन्द्र )              आर.ए.एस.              उपखण्ड अधिकारी              रायसिंहनगर         </p> <p>             17.08.2024 को पत्रावली दिनांक 17.08.2024 को पेश हो।              अवकाश होने के कारण आज पेशी में ली गई।              18.09.24 को पत्रावली दिनांक 17.08.24 को पेश हो।              अवकाश होने के कारण आज पेशी में ली गई।              20.09.24 को पत्रावली दिनांक 17.08.24 को पेश हो।              अवकाश होने के कारण आज पेशी में ली गई।         </p> <p>             20.09.24 को पत्रावली दिनांक 17.08.24 को पेश हो।              अवकाश होने के कारण आज पेशी में ली गई।              कृष्णलाल स्वयं हाजिर थे कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर विवेक से क्रिया की जायगी प्रार्थना पत्रावली क्रिया जायगी ही कि मुझे कोई एवाराप नही है। मुझे केर हाजिर में गो एसशाठ मुमि हेतु वाकला लकीन         </p>	<p>810 29/24</p> <p style="text-align: right;">             रणवीर लाल              रामलाल देवे सिंह              मदन सिंह         </p> 

कब दिया जावे) जहाँ आविष करने के बाद  
भी अजर्फी के अर्जों के बाद वसना स्विकृत  
करके फस सहमत हो। पत्रावली का उपबन्धन  
लिखा गया। अजर्फी के कलवा के व लखनाप  
अनुत्तर नहीं करके फस जर्फी का अर्ज  
पत्रों में लखनाप करना जाता है (निकल  
अलग से लिखा जाके शामिल मिल  
लिखा गया। पत्रावली मिलित होके शामिल  
मिल सहित हासिल करके ही  
द्वितीय कुलाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर